



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी
प्रेस-नोट

दिनांक:-08-05-2024

विषय:- "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत अभियुक्त जिया लाल को आर्म्स एक्ट के प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा जेल में बिताई गयी अवधि व 01 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना-चौक में पंजीकृत मु0अ0सं0- 118/1998 धारा- 25 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0- 119/1998 धारा- 4/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त **जियालाल पुत्र राम समुझ निवासी- देवरिया, थाना-बदलापुर जनपद- जौनपुर** को थाना चौक पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक- 08.05.2024 को मा0 न्यायालय स्पेशल सी0जे0एम0 जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त जियालाल उपरोक्त को धारा-25 आर्म्स एक्ट में जेल में बिताई गयी अवधि व 500 रुपये के अर्थदण्ड तथा धारा- 4/25 आर्म्स एक्ट में जेल में बिताई गयी अवधि व 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड न अदा करने पर 10-10 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

**सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त जोन-काशी
कमिश्नरेट-वाराणसी**